न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आ०उ०एस०आर० पोरख

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रमाणित, ग्राम पंचायत प्रस्तुत शपथ पत्र, आधार कार्ड व आधारभूत कार्ड के अनुसार प्रार्थिया का वास्तविक नाम गाड़ी पत्नि मोगु की जगह माडवी पत्नि मोगु की दुरुस्ती किया जाना उचित लेखा।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 1563

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाने की अभिशंषा की जाती है / की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

24/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 24/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पोरख	2075-78	65	गाड़ी पत्नि मोगु	माडवी पत्नि मोगु

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 24/11/

:- राजस्व / 2020 / 1563-64

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:18:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुर

Scanned with CamScanner